न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 227 / 2019

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2019 / 00366

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.गोमाराम पुत्र नगाराम 2.हपियोंदेवी पत्नी नगाराम जाति कुम्हार निवासी सांगरानाड़ी तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा		1.शंकरराम पुत्र रूपाराम 2.भंवराराम पुत्र रूपाराम 3.लूणाराम पुत्र पाबूराम जाति कुम्हार निवासी सांगरानाड़ी तहसील पचपदरा 4.सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सांगरानाड़ी 5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 6.शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री पूनमाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2
3.श्री प्रेमसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 03 व 4
4.विप्रार्थी संख्या 05 अनुपस्थित
5.विप्रार्थी संख्या 06 एकपक्षीय।

:आदेश :

दिनांक– 16.7.2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण गोमाराम पुत्र नगाराम व हपियोदेवी पत्नी नगाराम जाति कुम्हार निवासी सांगरानाड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा [illegible]/2725 रकबा 16.09 बीधा मौजा सांगरानाड़ी तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु [illegible] के लिए विप्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2724 / 2583,2730 / 2725 व 2731 / 2725 भूमि में से 20 [illegible] चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री पुनमाराम चौधरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर आवेदन–पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 03 व 4 की तरफ से वकालतनामा पेश कर इकबाली जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है। विप्रार्थी संख्या 06 को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 2724/2783,2730/2725 व 2731/2725 मौजा सांगरानाड़ी में से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 2727/2725 क्षेत्रफल 16.09 हैक्टेयर तक बंरग लाल के चौड़ा रास्ता 20 फीट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अन्तः में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

04. विप्रार्थी संख्या 01 व 02 अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। जिससे वर्तमान में अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 2727/2725 में आवागमन के तौर पर उपयोग व उपभोग में ले रहे है, क्योंकि विवादित भूमि का मूल खसरा संख्या 2583 रकबा 164.09 बीघा अवस्थित थी। जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण व उसके हक–पूर्वाधिकारी पाबूजी का एंव 1/2 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 का था। प्रार्थीगण के [illegible] पाबूजी होशियार व पढे लिखे थे। विप्रार्थी ग्रामीण परिवेश [illegible] जानकारी नहीं थी। विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा [illegible] विप्रार्थी को कम भूमि दी गई थी तथा विप्रार्थी को धोखे में रखते हुए उनके हिस्से [illegible] भूमि प्रार्थी को दिलवाई गई। विवादित भूमि का आपसी बंटवाड़ा राजस्व कैम्प 2018 में करवाया गया। बंटवाड़ा में आने जाने हेतु रास्ता हेतु भूमि चिन्हित नहीं की गई तथा बंटवाड़ा भी मन माफिक प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

द्वारा करवाया गया,उक्त बंटवाड़ा के आधार पर तरमीम भी गलत की गई,जो कि तरमीम निरस्त की जाकर पुनः सुधार कर तरमीम की जावें। रास्ता की रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से मंगवाई गई थी, लेकिन तहसीलदार स्वंय मौके पर नहीं चल कर हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक को मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया,उक्त राजस्व कार्मिक मौके पर नहीं चल कर प्रार्थीगण के साथ मिलीभगत करते हुए प्रार्थीगण के कहे अनुसार एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई हैं,जो गलत होने के कारण खारिज की जावे। मौका रिपोर्ट तैयार करते समय विप्रार्थी को सूचित भी नहीं किया गया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता हैं,जब वैकल्पिक रास्ता का अभाव हो,जबकि अंतिम मौका रिपोर्ट में A से C वैकल्पिक रास्ता बताया गया हैं,जो प्रस्तावित रास्ता से कम दुरी पर अवस्थित हैं। इस कारण प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत नहीं हो सकता हैं, प्रार्थी पक्ष केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने के नियत से ही हस्तगत प्रकरण पेश किया गया हैं। जिसमें प्रार्थी पक्ष राहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रार्थीगण का आवेदन मनगढत तथ्यों के बाधार पर होने के कारण खारिज किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में 2021 (2) RRT पृष्ठ 1286 न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया।

05. विप्रार्थी संख्या 03 व 4 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट बरंग लाल D E F G मुताबिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो आपति नहीं है।

06. हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। न्यायिक द्वष्टांत का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 2724/2583,2730/2725 व 2731/2725 में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है,क्योकि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस कारण वैकल्पिक रास्ता की सुविधा होने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे। विप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाई [illegible] अनुसार :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

07. <u>विकल्प A अनुसार</u>:–ग्राम [illegible] तहसील [illegible] खसरा संख्या 2727/2725 क्षेत्रफल 16.09 बीधा भूमि में आवागमन हेतु [illegible] रास्ता खसरा संख्या 2724/2583,2730/2725 व 2731/2725 मे से [illegible] लाल D E F G रास्ता भूमि प्रस्तावित की गई हैं तथा प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त होना बताया है। <u>विकल्प B अनुसार</u> वैकल्पिक रास्ता जो A से C बल्यू (आसमानी) रंग से दर्शित है खसरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 2727/2725 में कटाण रास्ता तक पंहुच हेतु निकटतम अन्य कोई रास्ता नहीं है,जहां प्रस्तावित किया जा सके।

08. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबंध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझते है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 2727/2725 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा रास्ता की मौका जांच–रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेश दिनांक 03.09.2020 को दिए गए थे,उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार पचपदरा ने अपनी जांच रिपोर्ट कार्यालय पत्रांक 267/08.02.2021 को उपलब्ध करवाई गई। जिसमें प्रा[illegible] खसरा संख्या 2724/2583, 2730/2725 व 2731/2725 में रास्ता दिया [illegible] प्रस्[illegible] किया गया। प्रस्तावित रास्ता अधिक निकट व उपयुक्त होना बताया गया। [illegible] ऐतराज होने पर पुनः विवादित आराजी की मौका जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया गया। जो दुबारा मौका मुआयना करते हुए पूर्व में प्रस्तावित रास्ता को सही होना बताते हुए प्रस्तावित रास्ता मुताबिक प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित बताया गया। तत्पश्चात् दुसरी मौका जांच रिपोर्ट पर भी विप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

व 2 जरिए अधिवक्ता एतराज करते हुए पुनः मौका जांच करवानें का निवेदन किए जाने पर उभय पक्षकारान की बाद सुनवाई न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 09.06.2023 के द्वारा विवादित आराजी रास्ता का तीसरी बार मौका मुआयना करते हुए रिपोर्ट भिजवानें हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया गया। न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौका जांच कर रिपोर्ट तीसरी बार उपलब्ध करवाई गई,जिसमें मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा मार्क D E F G बरंग लाल रास्ता प्रस्तावित किया गया तथा वैकल्पिक रास्ता A से C दर्शित किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 अधिवक्ता का मुख्य तर्क है,कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रस्तावित रास्ता नहीं दिया जावे,उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं,क्योंकि तहसीलदार पचपदरा द्वारा तीनो बार मौका जांच में स्पष्ट टिप्पणी की है कि प्रार्थीगण को रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता हैं। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। तीसरी मौका जांच रिपोर्ट मे जो वैकल्पिक रास्ता बताया गया हैं,उसकी दुरी 500 मीटर हैं,जबकि प्रस्तावित रास्ता की दुरी 470 मीटर हैं,जो की नजदीक हैं तथा वैकल्पिक रास्ता A से C खसरा संख्या 2766/2567 व 2725/2583 कटान् रास्ता नहीं होकर निजी खातेदारी हैं और निजी खातेदारी को बिना सुनवाई का अवसर दिए रास्ता दिया जाना उचित नहीं है,जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता निकटतम व उपयुक्त रास्ता हैं,जिसमें खसरा संख्या 2724/2783 खातेदार ने रास्ता देने हेतु सहमति दी गई हैं। विप्रार्थी संख्यर 01 व 02 का यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है,कि मौका मुआयना करते समय विप्रार्थी का सूचित नहीं किया गया। क्योंकि मौका रिपोर्ट के संलग्न नोटिस अवलोकन से स्पष्ट है,कि विप्रार्थी ने नोटिस तामीली करने से इन्कार किया हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विप्रार्थी संख्या 01 व 02 येन केन प्रकार से प्रकरण को लम्बित रखने की मंशा रखते हैं। जबकि प्रकरण विगत 05 वर्षो से विचाराधीन चल रहा है। हस्तगत प्रकरण संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाते हुए बाद मौका जांच कर निस्तारण करने का प्रावधान हैं,जबकि हस्तगत प्रकरण में विवादित रास्ता का तीन बार मौका मुआयना करवाया गया,तीनो बार मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता दिया जाना विधि-सम्मत बताया गया,लेकिन विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने हर बार मौका रिपोर्ट पर आपति की गई। इससे यहीं प्रतीत होता है कि विप्रार्थी प्रकरण को निस्तारण करना नहीं देना चाहते हैं। जबकि कानून की स्पष्ट मंन्शा है कि हकदार को आवागमन हेतु रास्ता मिलना चाहिए,जो कि प्रार्थी पक्ष प्रस्तावित रास्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2021 ([illegible]) 1286 हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता हैं,क्योंकि हस्तगत प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता सम्पूर्ण कटान् नहीं हैं। केवलमात्र आधा हिस्सा ही कटान् है,उसके आगे आगे के खसरान् निजी खातेदारी में दर्ज हैं तथा वैकल्पिक रास्ता की दुरी भी अधिक है,जबकि प्रस्तावित रास्ता नजदीक व उपयुक्त हैं। इस कारण प्रस्तावित रास्ता ही स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत व विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सम्मत् प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

8.उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल कुल रकबा 0.2660 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर– 14580/– प्रति बीघा के अनुसार प्रतिकर हेतु देय राशि–48114/–रूपये बनती है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम सांगरानाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 2727/2725 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 2724/2583 क्षेत्रफल 0.8903 हैक्टयर में से 0.0480 हैक्टयर,खसरा संख्या 2730/2725 क्षेत्रफल 5.0828 हैक्टयर मे से 0.1210 हैक्टयर व खसरा संख्या 2731/2725 क्षेत्रफल 5.0262 हैक्टयर मे से 0.0970 हैक्टयर संलग्न नक्शानुसार मार्क D E F G कुल क्षेत्रफल 0.2660 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 48114/–(अक्षरे अड़तालीस हजार एक सौ चौदह) रूपयें की राशि विप्रार्थी को उनके हिस्से अनुसार आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16-7-2024 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा